मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
(प्रशासकीय सतर्कता कोष्ठ)

*****

क्रमांक : 12(4)/85/प्रसको/एक   भोपाल, दिनांक 17 जुन 1985.

प्रति,

शासन के समस्त सचिव,
मध्यप्रदेश भोपाल ।

विषयः - लोकायुक्त कार्यालय द्वारा विभिन्न विभागों को अभियोजन की स्वीकृति हेतु भेजे गए प्रकरणों में अविलम्ब कार्यवाही की जाना ।

****

कृपया मुख्य सचिव के अर्द्ध शासकीय पत्र क्रमांक 57/मुस/84, दिनांक 3/2/84 के पद क्रमांक -4(2) का अवलोकन करें जिसमें आप से अनुरोध किया गया था कि भ्रष्टाचार के मामलों में अभियोजन के लिए शासन की स्वीकृति प्रकरण प्राप्ति के एक माह के भीतर दिया जाना अनिवार्य है । साथ ही प्रपत्र क्रमांक-1 संलग्न कर अभियोजन की स्वीकृति हेतु प्राप्त प्रकरणों की कार्यवाही के संबंध में त्रि-मासिक प्रतिवेदन भेजने का भी अनुरोध किया गया था । आप से निवेदन है कि कृपया भविष्य में उपरोक्त त्रि-मासिक प्रतिवेदन की एक प्रति प्रशासनिक सतर्कता कोष्ट को भी भेजे ।

उपर्युक्त त्रि-मासिक प्रतिवेदन के लिए निर्धारित प्रपत्र के पद क्रमांक 4 में अभियोजन की स्वीकृति अभी तक क्यों नहीं जारी हो सकी है, इसके कारण भी स्पष्ट करने की कृपा करें ।

(पी०एस० मेहता)
निर्देश-सचिव,
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

Kr Verma
21/6

एसके/7685*